कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय

काम्पलेक्स (बी) ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल-23

क्रमांक/तक./हाईटेक हब/2026-27/2438 (विस्तृत) भोपाल, दिनांक 17/09/2026

शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2026-27)

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत कृषकों को अधुनिक कृषि उपकरण/यंत्र देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर हाईटेक हब स्थापित करने हेतु संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के विज्ञापन क्रमांक/तक./हाईटेक हब/2026-27/1528 दिनांक 25.06.2026 के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गए थे। उक्त विज्ञापन में जारी लक्ष्य के विरूद्ध आठ जिलों से आवेदन प्राप्त न होने के कारण शुगरकेन(गन्ना) हाईटेक-हब स्थापित करने हेतु ''ऑन-लाईन'' आवेदन संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी की वेबसाईट www.chc.mpdage.org के माध्यम से निम्न श्रेणी अंतर्गत पुन: आमंत्रित किये जा रहे हैं। आवेदकों को अपने आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में रू. 1.00 लाख के बैंक ड्रॉफ्ट की फोटो प्रति अपलोड की जानी होगी। बैंक ड्रॉफ्ट ''संचालक, कृषि अभियांत्रिकी म.प्र. भोपाल'' के नाम से बनाया जाना होगा। ऐसे आवेदक जो चयन उपरांत हाईटेक हब स्थापित करने में असफल होंगे उनकी **धरोहर राशि की 15 प्रतिशत राशि राजसात** कर ली जायेगी। हाईटेक हब के प्रकार निम्नानुसार है -

शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब के लक्ष्य -

क्रं.	शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब	लक्ष्य	
		सामान्य	योग
1	**गन्ना फसल कटाई का यंत्रीकरण -** प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि रू. 1.70 करोड़ तक रखी जा सकती है तथा प्रोजेक्ट की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 52.00 लाख तक अनुदान देय होगा।	08	08
	योग	**08**	**08**

संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा उपरोक्त लक्ष्यों में आवश्यतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। (परिशिष्ट-1 में संलग्न)

शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब हेतु अनिवार्य यंत्र निम्नानुसार लिये जा सकते हैं:-

क्रमांक	यंत्र का नाम	अधिकतम संख्या
1	शुगरकेन हार्वेस्टर	1
2	इन्फील्डर (हाईड्रोलिक सिस्टम के साथ न्यूनतम 4 टन क्षमता)	2
3	ट्रेक्टर (इन्फील्डर की पावर अवश्यकता अनुसार)	2
4	रेटून मेनेजर	1
5	शुगरकेन कटर.प्लांटर	1
6	सब सॉइलर	1

नोटः- शुगरकेन इन्फील्डर हेतु अनुशंसित **आवश्यक न्यूनतम अथवा** उससे अधिक **पीटीओ एचपी** के ट्रेक्टर **का चयन किया जाना होगा।**

ऐच्छिक यंत्रों की सूची

क्रमांक	यंत्र का नाम	अधिकतम संख्या
1	ट्रेक्टर (50 एचपी से कम)	1
2	मल्टी टूलबार (टूल्स के साथ)	1

"शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि रू. 1.70 करोड़ तक रखी जा सकती है किन्तु अनुदान की गणना दिनांक 14 अगस्त 2026 को जारी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकैनिज़ेशन (SMAM) में प्रदत दिशानिर्देशनुसार अनुदान प्रावधान अनुसार यंत्रवार (40 % श्रेणी पात्रता अनुरूप) की जाएगी एवं अधिकतम राशि रू. 52 लाख तक का अनुदान देय होगा"

नोट :-

1. **भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05 मई 2025 के दिशा निर्देशानुसार स्वचलित यंत्र (राशि रू. 1 लाख से अधिक) पर AI-powered telematic kit (GPS System) होना अनिवार्य है। AI-powered telematic kit (GPS System) के बिना इन यंत्रो पर अनुदान देय नहीं होगा।**

उपरोक्त प्रोजेक्ट के साथ शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब के कार्यक्षेत्र, क्रियान्वयन की रूपरेखा, लाभान्वित होने वाले कृषकों की अनुमानित जानकारी आदि भी प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त प्रोजेक्टों अंतर्गत अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना में प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के ''एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड'' (ए.आई.एफ.) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।

सामान्य शर्तें एवं पात्रता –

1. शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब हेतु प्रोजेक्ट के साथ शुगरमिल से कार्य उपलब्ध होने का अनुबंध भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से प्राथमिकता क्रम का निर्धारण किया जायेगा। प्राथमिकता क्रम सूची में से लक्ष्य अनुसार आवेदकों का चयन कर लाभ प्रदाय किया जायेगा।
3. चयनित आवेदकों द्वारा प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री के कार्यालय (सूची संलग्न) में प्रस्तुत करना होगा। प्रोजेक्ट की विषयवस्तु तथा क्रियान्वयन का अवलोकन संभागीय समिति के द्वारा किया जाकर अंतिम निर्णय लिया जावेगा। कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्ट का परीक्षण कर यह देखा जायेगा कि आवेदक ने प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रस्तुत किया है अर्थात् आवेदक द्वारा पंजीकृत निर्माताओं से पंजीकृत सामग्री का क्रय संचालनालय के डीबीटी पोर्टल पर निर्धारित दरों के अधीन ही किया जा रहा है अथवा नहीं। प्रोजेक्ट उपयुक्त पाये जाने पर संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्ट का आवेदन एआईएफ अंतर्गत आवेदक से प्रस्तुत करवाना होगा। भारत सरकार से सहमति प्राप्त होने पर भविष्य में उन्हें अनुदान की पात्रता संचालनालय की योजनाओं के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार बैक एण्डेड सबसिडी के रूप में होगी। संबंधित आवेदक को यह भी स्पष्ट रूप से अवगत कराना होगा कि आवंटन के अभाव में अनुदान राशि के आहरण में विलंब हो सकता है।
4. आवेदकों से प्राप्त प्रोजेक्टों का परीक्षण संभाग स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा एवं उपयुक्त प्रोजेक्ट पर अनुमति प्रदान की जायेगी।
5. एआईएफ के माध्यम से स्वीकृति के उपरांत आवेदक का प्रोजेक्ट ऋण स्वीकृति हेतु बैंकों को सीधे कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा अग्रेषित किया जाएगा। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति उपरांत हितग्राही द्वारा केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
6. स्वीकृत बैंक ऋण में सबसिडी की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। ऋण राशि अदा करने में असफल होने की स्थिति में हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा बैंक की ऋण राशि, जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा, वापस चुकानी होगी।
7. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जावेगी तथा ऋणस्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।

8. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरूप से लौटाया नही जा सकेगा। इस अवधि के पूर्व हितग्राही द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रूप से चुकाने पर हितग्राही को अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि शासन को वापस की जाना होगी।
9. योजना के तहत क्रय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को हितग्राही द्वारा ऋण अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नही किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी।
10. हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी। मशीनों/यंत्रों के रख-रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक/हितग्राही को स्वयं करनी होगी।
11. हाईटेक-हब स्थापना उपरांत बैंक द्वारा संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री से अनुदान राशि की मांग की जाएगी। कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा केन्द्र का भौतिक सत्यापन संयुक्त रूप से बैंक अधिकारी एवं सहायक कृषि यंत्री से कराया जाएगा। भौतिक सत्यापन में उपयुक्त पाये गये आवेदनों पर नियमानुसार अनुदान की राशि संबंधित बैंक को बैक एण्डेड सबसिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
12. व्यक्तिगत श्रेणी में वे ही आवेदक पात्र होंगे जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी होकर प्रदेश में ही निवास कर रहे हों।
13. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में सेवारत व्यक्ति तथा शासकीय योजनाओं की सहायता से स्व-रोजगार स्थापित किये आवेदक एवं पूर्व में इस योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त आवेदक आवेदन नही कर सकेंगें अर्थात् योजना के लिये पात्र नहीं होंगें।
14. आवेदक जिस जिले (परिशिष्ट – 1 अनुसार) में हाईटेक हब स्थापित करना चाहता है उसी जिले (परिशिष्ट – 1 अनुसार) की बैंक शाखा से अपना प्रकरण स्वीकृत कराना होगा।
15. एक परिवार में एक ही हाइटेक हब/ धान स्ट्रा सप्लाई चेन/कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। अन्य योजनाओं अंतर्गत स्थापित हाइटेक हब/ धान स्ट्रा सप्लाई चेन/कस्टम हायरिंग केन्द्र को भी इस योजना के अंतर्गत केंन्द्र आवंटन के समय ध्यान में रखा जावेगा। पूर्व में स्थापित शुगरकेन हाइटेक हब की जानकारी क्षेत्र से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
16. एक ग्राम पंचायत में एक ही शुगरक़ेन हाइटेक हब स्थापित किया जा सकता है। जिन ग्राम पंचायतों में पूर्व से ही शुगरकेन हाईटेक हब स्थापित है उन ग्राम पंचायतों में हाईटेक हब स्थापित किये जाने की पात्रता नहीं होगी। पूर्व में स्थापित शुगरकेन हाइटेक हब के ग्रामों की जानकारी क्षेत्र से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
17. आवेदक मध्य प्रदेश के जिस जिले का निवासी है,उसी जिले (परिशिष्ट – 1 अनुसार) से ही आवेदन करना आवश्यक है।
18. आवेदक को अपनी स्वेच्छानुसार बैंक चयन करने की स्वतंत्रता है।
19. प्रदाय लक्ष्य अनुसार (परिशिष्ट-1) एक जिले में केवल एक ही लक्ष्य प्रदाय किया जायेगा। यदि प्राथमिकता सूची से किसी जिले का आवेदक शुगरकेन हाईटेक हब स्थापित करने में असफल होता है तो उस श्रेणी की प्राथमिकता सूची से उस जिले के अगले आवेदक को अवसर प्रदान किया जायेगा।

कार्यक्रम अंतर्गत समय सीमायें निम्नानुसार है–

1	आवेदन करने की अवधि	दिनांक 18 सितम्बर 2026 से 28 सितम्बर 2026 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2.	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	दिनांक 29-30 सितम्बर 2026 प्रातः 10:00 से सायं 06:00 तक संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रोजेक्टों का अवलोकन किया जायेगा।
3.	कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण	दिनांक 01 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी की जायेगी।

जिलों से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों के विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	आवेदक का संभाग	आवेदन का जिला	संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा दूरभाष क्रंमाक
1	इंदौर	बुरहानपुर, धार	संभागीय कृषि यंत्री, कौशल विकास केन्द्र, रिंग रोड़, हंस ट्रेवल्स के पास, पिपलियाहाना, मूसा-खेड़ी, इन्दौर दूरभाष - 0731-2368440/2997130
2	ग्वालियर	दतिया एवं ग्वालियर	संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड़, ग्वालियर, दूरभाष - 0751-2364595
3	जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर एवं छिंदवाडा	संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर, दूरभाष - 0761-2680928
4	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	संभागीय कृषि यंत्री, इटारसी रोड पवारखेड़ा,नर्मदापुरम

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट-1

शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक हब स्थापित करने हेतु आवेदन के जिलों की सूची -

क्रमांक	जिला	सामान्य	योग
1	नरसिंहपुर	08	08
2	छिंदवाडा		
3	दतिया		
4	धार		
5	बुराहनपुर		
6	जबलपुर		
7	नर्मदापुरम		
8	ग्वालियर		

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल